दीपक कुमार गौड़ बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जितेंद्र चौहान, न्यायमूर्ति.)

एम.एम. कुमार एवं जीतेन्द्र चौहान, न्यायमूर्ति के समक्ष

दीपक कुमार गौड़ -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादि

2009 में एलपीए संख्या 547

1999 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5731

25 मई, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद . 226-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा . 17-बी, 25-जी और 25-एच-कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति-श्रम न्यायालय ने सेवा की निरंतरता और पूर्ण वेतन के साथ बहाली का आदेश दिया-एकल न्यायाधीश ने कामगार को बहाली के बदले मुआवजे का हकदार माना क्योंकि नियुक्ति केवल स्टॉप गैप व्यवस्था थी -उसे चुनौती - विभागीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के बाद रोजगार कार्यालय के माध्यम से कर्मचारी की नियुक्ति - भले ही बर्खास्तगी एसएस के विपरीत और उल्लंघन में पाई गई हो। 25-जी और 25-एच, कर्मकार को केवल मुआवजा दिया जाना चाहिए, बहाली नहीं -

माना गया, धारा 17-बी के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले कर्मकार को लाभकारी रूप से नियोजित नहीं किया गया - कर्मकार को अधिनियम के प्रावधानों के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता -अस्वीकृत इसका परिणाम न केवल कल्याणकारी कानून को नकारना होगा, बल्कि संविधान और कल्याण राज्य की अवधारणा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ असंगत होगा- लागत के साथ अपील की अनुमति, एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया गया और श्रम न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार को बहाल कर दिया गया। माना गया कि अधिनियम की धारा 17-बी के अनुपालन में अपीलकर्ता/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत हलफनामा उसके किसी भी रोजगार में नहीं होने का पर्याप्त और सकारात्मक प्रमाण है। यदि राज्य को श्रमिक द्वारा किए गए दावे पर हमला करना है, तो उस स्थिति में, इस तथ्य को स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य पर है कि अपीलकर्ता किसी रोजगार में रहा था या बेरोजगार नहीं रहा था। राज्य/प्रबंधन को नागरिकों, विशेषकर कामगारों और श्रमिकों के अधिकारों को कुचलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिनका राष्ट्र निर्माण में योगदान पर्याप्त, आवश्यक और वास्तविक है। जैसा कि हमारी संवैधानिक योजना के तहत निर्धारित किया गया है, मजदूरों, कामगारों और वंचितों का ऊपर की ओर बढ़ना राष्ट्र की वृद्धि और विकास का पर्याय है।

(पैरा 19 एवं 20)

आगे कहा गया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि कर्मचारी ने चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया। हमारा मानना है कि यदि राज्य के अधिकारी ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप चयन नहीं किया है, तो राज्य ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें राज्य को होने वाली क्षति भी शामिल है। ऐसी कार्रवाई का. ऐसे मामलों में जहां अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन स्थापित हो जाता है, श्रमिक को अधिनियम के उस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है जो उसे देना चाहता है। इनकार का परिणाम न केवल कल्याणकारी कानून को नकारना होगा, बल्कि संविधान और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ असंगत होगा।

पैरा (21)

अपीलकर्ता की ओर से सुश्री प्रीति खन्ना, अधिवक्ता।
कमल सहगल, अपर. महाधिवक्ता, हरियाणा।

जीतेन्द्र चौहान, न्यायमूर्ति

(1) यह एक लेटर्स पेटेंट अपील है जो खंड X लेटर पर्यटन स्थल के तहत दाख़िल की है जो एकल न्यायाधीश के 28 अप्रैल 2009 देना के सिविल रिट पिटीशन नंबर 5731 2009 जो हरियाणा राज्य प्रतिवादी नंबर एक द्वारा दाख़िल की है जिसे अनुमति प्रदान की गई थी

(2) वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि हरियाणा राज्य ने 22 अक्टूबर 1998 के फैसले को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उपरोक्त रिट याचिका दायर की (अनुलग्नक पी- 1) औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, गुड़गांव (इसके बाद इसे 'श्रम न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा पारित किया गया। श्रम न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि कामगार-दीपक कुमार (यहां अपीलकर्ता) ने अपनी समाप्ति की तारीख से 12 पूर्ववर्ती महीनों में 240 दिन से अधिक काम पूरा कर लिया था, और उसकी सेवाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना समाप्त कर दी गई थीं। , 1974 (संक्षिप्तता के लिए 'अधिनियम')। आगे यह माना गया कि कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति को उसकी शर्तों के तहत नहीं माना जा सकता है नियुक्ति। इन तथ्यों के आधार पर कर्मकार को पूरे बकाया वेतन के साथ सेवा की निरंतरता के साथ बहाल किया गया था।

(3) माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका पर निर्णय लेते समय 18 जून 1981 के नियुक्ति पत्र की शर्त संख्या 2 पर भरोसा रखा है, जो कि प्रदर्शनी एम-1 (लेबर कोर्ट के समक्ष) इस प्रकार थी:

"2. आपकी नियुक्ति छह महीने की अवधि के लिए या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा द्वारा ड्यूटी के लिए अनुशंसित उम्मीदवार की अवधि तक, जो भी पहले हो, अस्थायी होगी।"

(4) उपरोक्त शर्त के आधार पर, माननीय एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला है कि कर्मकार की नियुक्ति सेवा को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों के अनुरूप नहीं थी और यह अस्थायी आधार पर थी, कर्मकार को कोई अधिकार नहीं मिलेगा पद संभालो. माननीय एकल न्यायाधीश ने आगे कहा है कि भले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम में निहित प्रावधानों या नियुक्ति की शर्तों के प्रावधानों के उल्लंघन में कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हों, फिर भी अपीलकर्ता बहाली का हकदार नहीं होगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं अन्य बनाम अशोक कुमार एवं अन्य[1] (1), महबूब दीपक बनाम नगर पंचायत, गजरौला,[2] (2), म.प्र. के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में सेवा में। प्रशासन बनाम त्रिभुवन,[3] (3) म.प्र. राज्य। और अन्य बनाम ललित कुमार वर्मा,[4] (4) और सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी और अन्य,[5] (5)। निष्कर्ष में, माननीय एकल न्यायाधीश ने माना है कि चूँकि कर्मकार की नियुक्ति स्टॉप-गैप व्यवस्था थी, इसलिए, इस तथ्य के आलोक में कर्मकार की बहाली का आदेश नहीं दिया जा सकता है कि उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। डाक। दूरसंचार जिला प्रबंधक और अन्य बनाम केशब देब के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने के बाद;[6] (6) और इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का निर्णय कार्यकारी अभियंता बनाम ईश्वर सिंह और अन्य के माध्यम से हरियाणा राज्य में दिए गए मामले में [7](7) माननीय एकल न्यायाधीश ने कहा कि कामगार रुपये के मुआवजे का हकदार होगा। बहाली के बदले में 35,000 रुपये और राज्य द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति दी।

(5) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि सिविल अपील संख्या में हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य भंडारण निगम के मामलों में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसलों के मद्देनजर माननीय एकल न्यायाधीश का आदेश टिकाऊ नहीं हो सकता है। 2010 का 587, 5 जनवरी 2010 को निर्णय लिया गया; रमेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य, सिविल अपील संख्या 229, 2010 और कृष्ण सिंह बनाम कार्यकारी अभियंता, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिविल अपील संख्या 2335, 2010 के मामले में 12 मार्च, 2010 को फैसला सुनाया गया।

---

[1] 2008(4) एस.सी.सी. 261
[2] (2008)1 एस.सी.सी. 575
[3] (2007)9 एस.सी.सी. 748
[4] (2007)1 एस.सी.सी. 575
[5] (2006)4 एस.सी.सी. मैं
[6] 2008(3) एस.सी.टी. 33.
[7] 2008(3) एस.सी.टी. 789

(6) आगे यह तर्क दिया गया है कि माननीय एकल न्यायाधीश सैयद येकूब बनाम के.एस. मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सर्टिओरीरी रिट में न्यायिक समीक्षा के दायरे की सराहना करने में विफल रहे हैं। राधाकृष्णन और अन्य,[8] (8) और सूर्या देवी बनाम राम चंदर राय और अन्य[9] (9)।

(7) आगे यह तर्क दिया गया है कि श्रम न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-प्रबंधन की ओर से दायर जवाब में, अपीलकर्ता के पिछले वेतन के साथ बहाली के दावे का इस आधार पर विरोध नहीं किया गया था कि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति अवैध या असंवैधानिक थी।

(8) अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा आगे दिया गया तर्क यह है कि माननीय एकल न्यायाधीश इस तथ्य को समझने में विफल रहे हैं कि अपीलकर्ता को किसी अन्य अस्थायी कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो कि धारा 25-जी और 25-एच का उल्लंघन था। अधिनियम। अधिनियम की धारा 25-एच के अनुसार, नियोक्ता पर यह कर्तव्य डाला गया है कि वह छंटनी किये गये श्रमिकों को तरजीही आधार पर पुन: रोजगार के लिए खुद को पेश करने का अवसर प्रदान करे। अधिनियम की धारा 25-जी और 25-एच का उल्लंघन स्थापित किया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के मनमाने और उल्लंघन के अलावा, अनुचित श्रम अभ्यास के बराबर है।

(9) अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा अंतिम रूप से यह तर्क दिया गया है कि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया था, वे अपीलकर्ता के मामले में पूरी तरह से भिन्न थे, विशेष रूप से इस तथ्य की स्थिति में कि उक्त निर्णय दैनिक मजदूरों से संबंधित थे या वे कर्मचारी जिनकी सेवाएँ कर्मचारी के कदाचार के कारण या सेवा की बहुत कम अवधि के बाद या सेवा में ब्रेक के कारण समाप्त कर दी गई थीं या जहाँ कोई उचित नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था या की गई नियुक्ति गैर स्थायी पद के विरुद्ध थी या नियुक्ति विरुद्ध नहीं थी एक स्पष्ट रिक्ति।

(10) अपीलकर्ता के विद्वान वकील के विपरीत, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप बताते हुए बचाव किया है। विद्वान राज्य वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि जगबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (10) नामक मामले की तथ्यात्मक स्थिति अलग-अलग है। उक्त निर्णय के पैरा 7 का हवाला देते हुए, विद्वान राज्य वकील ने कहा है कि पिछले वेतन के साथ बहाली स्वचालित नहीं है और किसी दिए गए तथ्य की स्थिति में पूरी तरह से अनुचित हो सकती है, भले ही किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में हो।

---

[8] एआईआर 1964 एस.सी. 477

[9] 2003(6) एस.सी.सी. 675

(11) विद्वान राज्य के वकील ने आगे तर्क दिया है कि बहाली के बदले में मुआवजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। उन्होंने आगे मध्य प्रदेश प्रशासन बनाम त्रिभुवन (सुप्रा) शीर्षक वाले केस कानून का संदर्भ दिया है, जिसमें यह माना गया है कि एक समय में पूर्ण वेतन के साथ बहाली स्वचालित रूप से दी जाती थी, लेकिन इसमें एक बदलाव हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णयों में यह प्रवृत्ति देखने को मिली। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता/कर्मचारी पिछले वेतन का हकदार नहीं है, यह दिखाने के लिए किसी सबूत के अभाव में कि अपीलकर्ता/कर्मचारी लगभग 25 वर्षों की अंतराल अवधि के दौरान नियोजित नहीं था।

(12) हमने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(13) कुछ स्वीकृत तथ्य हैं जिन्हें हम दर्ज करना चाहेंगे, यानी अपीलकर्ता/कर्मचारी को पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ता/कर्मचारी का नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया था। विभागीय चयन समिति द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया। समिति की अनुशंसा पर उन्हें सुपीरियर नियुक्त किया गया फील्ड वर्कर छह महीने की अवधि के लिए या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा द्वारा अनुशंसित किसी अन्य उम्मीदवार के ड्यूटी पर आने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर। अपीलकर्ता द्वारा किए गए तथ्यात्मक दावे की सराहना करने के लिए, उसके 13 जून, 1994 के मांग नोटिस के पैरा 5 और पैरा 6 को यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"5. यह कि बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति आवेदक से कनिष्ठ होने के कारण हुई थी, वे अभी भी कार्यरत हैं। अंतिम आओ पहले जाओ के सिद्धांत का पालन किए बिना आवेदक की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। समाप्ति आदेश की एक प्रति भी अनुबंध ए-2 के रूप में संलग्न है।

6. श्री जय सिंह के 16 जनवरी, 1985 को सुपीरियर फील्ड वर्कर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर, आवेदक को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुड़गांव द्वारा उनके कार्यालय आदेश दिनांक 17 जनवरी द्वारा बेसिक हेल्थ वर्कर के पद पर समायोजित किया गया था। , 1985 बिना किसी ब्रेक के। सुपीरियर फील्ड वर्कर और बेसिक हेल्थ वर्कर के दोनों पद एक ही ग्रेड और एक ही कैडर में थे। राज्य सरकार. दोनों पदों को एक कैडर में विलय कर दिया गया और 7 जनवरी, 1985 से पदों को बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पुनः नामित किया गया।

(14) माना जाता है कि अपीलकर्ता/कर्मचारी ने नियुक्ति पत्र की शर्तों के विपरीत छह महीने पूरे कर लिए हैं। ट्रिब्यूनल के समक्ष राज्य का पक्ष यह था कि अपीलकर्ता की नियुक्ति पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद पर की गई थी। अपीलकर्ता लगभग साढ़े तीन वर्षों तक इस पद पर बना रहा। इस न्यायालय द्वारा 6 जुलाई, 2009 को पारित प्रवेश आदेश से, रिकॉर्ड पर यह साबित हो गया है कि अपीलकर्ता/कर्मचारी की सेवाएं इस आधार पर समाप्त कर दी गई थीं कि अपीलकर्ता नियुक्त किया गया था और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर काम कर रहा था। . इस न्यायालय द्वारा पारित प्रवेश आदेश इस प्रकार है:-

"अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, गुड़गांव (इसके बाद श्रम न्यायालय के रूप में संदर्भित) द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 1998 को निकाले गए निष्कर्ष की ओर आकर्षित किया है, जहां पैराग्राफ नं. 12, अन्य बातों के साथ-साथ यह इस प्रकार देखा गया है:-

"अस्थायी आधार पर नियुक्त एक कर्मचारी जिसने ड्यूटी दी थी साढ़े तीन साल तक इसे दूसरे और विज्ञापन से बदला नहीं जा सकता था अस्थायी नियुक्ति।"

इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि अपीलकर्ता का दावा न केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 25-एफ पर आधारित था, बल्कि धारा पर भी आधारित था। अधिनियम की धारा 25-जी। जहां तक तात्कालिक मुद्दे का सवाल है, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान राज्य सरकार के आदेश पर दायर रिट याचिका में निहित कथनों की ओर आकर्षित किया है, जिसमें पैराग्राफ संख्या 6 है। अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार देखा गया:-

"6. सैनिक बोर्ड, हरियाणा की उपरोक्त अनुशंसा एवं विभागीय चयन समिति द्वारा किये गये चयन के आधार पर पूर्व सैनिक श्री जय सिंह को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक EXXD/M-10/84, 247 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गयी। दिनांक 3 जनवरी, 1985 को जिला गुड़गांव में और सामान्य वर्ग से संबंधित सुपीरियर फील्ड वर्कर श्री दीपक कुमार, जो भूतपूर्व सैनिक के आरक्षित पद पर कार्यरत थे, को सीएमओ, गुड़गांव ने अपने पत्र संख्या 67, दिनांक 16 के माध्यम से कार्यमुक्त कर दिया था। जनवरी, 1985. इस प्रकार, 26 मई, 1983 के सरकारी निर्देशों (अनुलग्नक पी-4) के अनुसार एक पूर्व सैनिक उम्मीदवार के शामिल होने पर श्री दीपक कुमार को प्रतिस्थापित कर दिया गया।''

(15) अपीलकर्ता की सेवाएँ आदेश द्वारा समाप्त कर दी गईं दिनांक 16 जनवरी, 1985। समाप्ति आदेश के अनुसार, इसका कोई ठिकाना नहीं है कहा गया है कि अपीलकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गईं उनका सामान्य उम्मीदवार होना. यह नहीं बताया गया कि अपीलकर्ता/कार्यकर्ता भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद पर शामिल होने की अनुमति दी गई थी। ए अपीलार्थी के नियुक्ति पत्र, एक्ज़िबिट एम-1 और को केवल पढ़ना श्री जय सिंह का नियुक्ति पत्र, एक्ज़िबिट W-1 (लेबर से पहले)। न्यायालय) एवं श्रमिक दीपक कुमार का सेवा समाप्ति आदेश दिनांक 16 जनवरी, 1985 के तथ्यात्मक पहलू पर से बादल हट जायेगा मामला। उपर्युक्त नियुक्ति पत्र/आदेश का प्रासंगिक भाग, तीनों से संबंधित, क्रमबद्ध रूप से नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:- श्री परमा नंद के पुत्र श्री दीपक कुमार के नियुक्ति पत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: "विषय: एन.एम.E.P के तहत अस्थायी सुपीरियर फील्ड वर्कर की भर्ती। इसके द्वारा आपको एस.एफ.डब्ल्यू. का एक अस्थायी पद प्रदान किया जाता है। नीचे उल्लिखित वेतनमान के साथ-साथ हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता और निर्धारित टी.ए. ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत (यदि टी.ए. नियमावली की शर्तें पूरी होती हों) :-

1. एस.एफ.डब्ल्यू. : रु. 400-600 ;

"2. आपकी नियुक्ति छह महीने की अवधि के लिए या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा द्वारा ड्यूटी के लिए अनुशंसित उम्मीदवार की अवधि तक, जो भी पहले हो, अस्थायी होगी।"

**

श्री जय सिंह के नियुक्ति पत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"विषय: सुपीरियर फील्ड वर्कर के पद पर तदर्थ आधार पर भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार की नियुक्ति।

आपको सूचित किया जाता है कि इस निदेशालय ने श्री जय सिंह, जो ईएसएम श्रेणी से संबंधित हैं, को एसएफडब्ल्यू के रूप में नियुक्त किया है, इस निदेशालय के पत्र संख्या 247, दिनांक 3 जनवरी, 1985 द्वारा इस उम्मीदवार के शामिल होने पर तदर्थ आधार पर, की सेवाएं श्री दीपक कुमार, जो सामान्य वर्ग से हैं, को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा सकता है।

जब भी श्री जय सिंह आपके कार्यालय में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जाए और श्री दीपक कुमार की सेवा समाप्ति की तारीख भी सूचित की जाए ताकि निदेशालय का रिकॉर्ड पूरा किया जा सके। कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार करें।"

***

श्री दीपक कुमार के समाप्ति आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"निदेशालय के पत्र संख्या ईसीडी/एम-10/84/247, दिनांक 3 जनवरी, 1985 के अनुसार, श्री जय सिंह, एसएफडब्ल्यू ने 16 जनवरी, 1985 को दोपहर के बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। इसलिए श्री दीपक कुमार, एसएफडब्ल्यू को आज कार्यमुक्त कर दिया गया है। 16 जनवरी, 1985 की दोपहर को अपनी ड्यूटी से।"

(16) उपरोक्त पत्र/आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि पत्र/आदेश सामंजस्य योग्य नहीं हैं। भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता की याचिका केवल अपीलकर्ता/कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने की एक चाल है।

(17) हम राज्य के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क से भी सहमत नहीं हैं कि भले ही समाप्ति विपरीत पाई गई हो और अधिनियम की धारा 25-जी और 25-एच का उल्लंघन हो, अपीलकर्ता/कर्मचारी को ऐसा करना चाहिए। केवल मुआवजा दिया जाए, बहाली नहीं।

(18) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरजिंदर सिंह के मामले में सर्टिओरीरी रिट को लागू करने के लिए सर्वोपरि निर्णय लेते हुए निम्नानुसार कहा है:-

"10. हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है। हमारी राय में, विवादित आदेश केवल इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि श्रम न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करते समय, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्धारित मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा था संविधान के अनुच्छेद 226 और/या 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए इस न्यायालय द्वारा नीचे-सैयद याकूब बनाम के.एस. राधाकृष्णन और अन्य, एआईआर 1964 एससी 477 और सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय और अन्य 2003 (6) एससीसी 675. सैयद याकूब के मामले में, इस न्यायालय ने उत्प्रेषण रिट के दायरे को निम्नलिखित शब्दों में चित्रित किया: -

"उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा के बारे में प्रश्न अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्प्रेषण रिट जारी करने में पर इस न्यायालय द्वारा अक्सर विचार किया गया है

और इस संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति अब संदेह में नहीं है। निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा की गई क्षेत्राधिकार की त्रुटियों को ठीक करने के लिए सर्टिओरारी की रिट जारी की जा सकती है: ये ऐसे मामले हैं जहां निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के आदेश पारित किए जाते हैं, या इससे अधिक है, या क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप . इसी तरह एक रिट भी जारी की जा सकती है, जहां उसे प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, न्यायालय या न्यायाधिकरण अवैध रूप से या उचित तरीके से कार्य करता है, उदाहरण के लिए, वह आदेश से प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का निर्णय करता है, या जहां विवाद से निपटने में अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर्टिओरीरी रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार एक पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। इस सीमा का आवश्यक अर्थ यह है कि सबूतों की सराहना के परिणामस्वरूप अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पहुंचे तथ्य के निष्कर्षों को रिट कार्यवाही में दोबारा नहीं खोला या पूछताछ नहीं की जा सकती है। कानून की त्रुटि, जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है, को रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि नहीं, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो। ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, सर्टिओरीरी की एक रिट जारी की जा सकती है यदि यह दिखाया गया है कि उक्त निष्कर्ष को रिकॉर्ड करने में, ट्रिब्यूनल ने गलती से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, या गलती से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार कर लिया था। विवादित निष्कर्ष को प्रभावित किया। इसी प्रकार, यदि तथ्य का निष्कर्ष बिना किसी सबूत के आधारित है, तो इसे कानून की त्रुटि माना जाएगा जिसे सर्टिओरारी की रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालाँकि, इस श्रेणी के मामलों से निपटने में, हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज तथ्य का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है सर्टिओरारी रिट की कार्यवाही में इस आधार पर चुनौती दी गई कि ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश किए

गए प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य विवादित निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त या अपर्याप्त थे। किसी बिंदु पर साक्ष्य की पर्याप्तता या पर्याप्तता और उक्त निष्कर्ष से निकाले जाने वाले तथ्य का अनुमान ट्रिब्यूनल के विशेष क्षेत्राधिकार के भीतर है, और उक्त बिंदुओं को रिट कोर्ट के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है। यह इन सीमाओं के भीतर है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को सर्टिओरीरी रिट जारी करने के लिए प्रदत्त क्षेत्राधिकार का वैध रूप से प्रयोग किया जा सकता है (हरि विष्णु कामथ बनाम सैयद अहमद इशाक 1955 (1) एससीआर 1104, नागंद्र नाथ बोरा बनाम हिल्स डिवीजन के आयुक्त के माध्यम से) और अपील असम 1958 एससीआर 1240 और कौशल्या देवी बनाम बचित्तर सिंह एआईआर 1960 एससी 1168)।

XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX

17. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम यह देखना आवश्यक समझते हैं कि वर्तमान जैसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 226 और/या 227 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय यह ध्यान रखने के लिए बाध्य हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम और अन्य समान विधायी उपकरण सामाजिक कल्याण कानून हैं और इनकी व्याख्या संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित लक्ष्यों और सामान्य रूप से उसके भाग IV में निहित प्रावधानों और अनुच्छेद 38, 39 (ए) से (ई) को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। विशेष रूप से 43 और 43ए, जो यह आदेश देते हैं कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता सुनिश्चित करनी चाहिए और आम भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। कि मजदूरों को उनका हक मिले. 41 वर्ष से अधिक पहले, गजेंद्रगडकर, जे. ने कहा था कि "सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा क्रांतिकारी आयात की एक जीवित अवधारणा है; यह कानून का शासन और कल्याणकारी राज्य के आदर्श का अर्थ और महत्व" मैसूर राज्य बनाम सोने की खदानों के श्रमिक एआईआर 1958 एससी 923।

XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX

22. सरकारी शाखा प्रेस बनाम डी.बी. में बेलियप्पा (1979) 1 एससीसी 477, नियोक्ता ने यह तर्क देकर किराया और नौकरी से निकाल देने के सिद्धांत को लागू किया कि प्रतिवादी की नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी थी और उसकी सेवा नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, जिसे उसने स्वेच्छा से स्वीकार किया था। इस याचिका को पूरी तरह गलत बताते हुए खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा:

"यह पुरातन सामान्य कानून अवधारणा से उधार लिया गया है कि रोजगार केवल मालिक और नौकर के बीच का मामला था। सबसे पहले, यह नियम अपने मूल पूर्ण रूप में सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता

है। दूसरे, निजी रोजगार के संबंध में भी, इसका अधिकांश भाग समय के जीवाश्मों में चला गया है। "यह नियम उस समय प्रचलित था जब मालिक और नौकर को अब की तुलना में अधिक शाब्दिक रूप से लिया जाता था और जब, प्रारंभिक रोमन कानून की तरह, नौकर के अधिकार, जैसे घर के किसी भी अन्य सदस्य के अधिकार उसके अपने नहीं, बल्कि उसके पैतृक परिवारों के थे।'' इस प्राचीन सिद्धांत के निहितार्थ 18वीं सदी के एंग्लो-अमेरिकी न्यायशास्त्र और 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में देखे जा सकते हैं, जो कर्मचारी को नौकरी से निकालने के नियोक्ता के पूर्ण अधिकार को तर्कसंगत बनाया। "ऐसा दर्शन", जैसा कि के. कर्मचारी शायद बीते दिनों की देहाती सादगी के अनुरूप रहा होगा। लेकिन वह दर्शन बड़े, अवैयक्तिक, कॉर्पोरेट नियोक्ताओं के इन दिनों के साथ असंगत है। इसे बड़े पैमाने पर बदली हुई और बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और आजकल के रीति-रिवाजों के अनुरूप लाने के लिए, इस पुराने, पुरातन और अन्यायपूर्ण सिद्धांत का बहुत कुछ नष्ट हो गया है। न्यायिक निर्णय और कानून, विशेष रूप से व्यक्तियों पर इसके अनुप्रयोग में सार्वजनिक रोजगार में, जिन्हें अनुच्छेद 14, 15, 16 और 311 का संवैधानिक संरक्षण उपलब्ध है। इसलिए तर्क को खारिज कर दिया गया है। ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी (1984) 1 एससीसी 1 मामले में अहस्तक्षेप के सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में फिर से खारिज कर दिया गया:

"अहस्तक्षेप के दिनों में जब औद्योगिक संबंध किराये और नौकरी से निकालने के कठोर कानून द्वारा शासित होते थे, प्रबंधन सर्वोच्च स्वामी था, संबंध को असमानों के बीच अनुबंध के रूप में संदर्भित किया जाता था और प्रबंधन की कार्रवाई को लगभग पवित्र माना जाता था। विकासशील धारणाएं सामाजिक न्याय और सामाजिक-आर्थिक न्याय के विस्तारित क्षितिज ने उद्योग में असमान भागीदार, अर्थात् उन लोगों के लिए वैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता की, जो पूंजी लाने वालों के खिलाफ रक्त और मांस का निवेश करते हैं। उन दिनों से आगे बढ़ते हुए जब नियोक्ता की सनक सर्वोच्च होती थी, अधिनियम ने कानून द्वारा नियोक्ता को सेवा की न्यूनतम शर्तें निर्धारित करने के लिए मजबूर करने के लिए एक मामूली कदम उठाया, जिसके अधीन रोजगार दिया जाता है। अधिनियम को अधिनियमित किया गया था क्योंकि इसके लंबे शीर्षक से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को रोजगार की शर्तों को पर्याप्त सटीकता के साथ परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। उन्हें और उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों को उक्त शर्तों से अवगत कराना। आंदोलन स्थिति से अनुबंध की ओर था, अनुबंध को दो असमान व्यक्तियों द्वारा बातचीत के लिए नहीं छोड़ा गया था, बल्कि वैधानिक रूप से लगाया गया था। यदि यह सामाजिक रूप से लाभकारी अधिनियम कमजोर साझेदार की स्थितियों को सुधारने के लिए अधिनियमित किया गया था, तो इसके तहत निर्धारित सेवा की शर्तों को ऐसी व्याख्या मिलनी चाहिए जिससे अधिनियम के अंतर्निहित इरादे को आगे बढ़ाया जा सके और शरारत को हराया जा सके।

23. हाल ही में, सामाजिक कल्याण कानूनों की व्याख्या से जुड़े मामलों से निपटने में अदालतों के दृष्टिकोण में स्पष्ट बदलाव आया है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के आकर्षक मंत्र तेजी से न्यायिक प्रक्रिया का आधार बनते जा रहे हैं और यह धारणा बन गई है कि संवैधानिक अदालतें अब औद्योगिक और असंगठित श्रमिकों की दुर्दशा के प्रति सहानुभूतिशील नहीं हैं। वर्तमान जैसे बड़ी संख्या में मामलों में, तीन दशकों में इस न्यायालय द्वारा विकसित न्यायशास्त्र में उप-गलियाँ और साइड-लेन बनाकर कामगार की श्रेणी में आने वाले

कर्मचारियों को अवैध रूप से सेवा से हटा दिया गया है। ऐसे मामलों में सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा उठाई गई दलील यह है कि कामगार-कर्मचारी का प्रारंभिक रोजगार/नियुक्ति किसी न किसी क़ानून के विपरीत थी या कामगार की बहाली प्रतिष्ठान के वित्तीय स्वास्थ्य पर असहनीय बोझ डालेगी। अदालतों ने गलती करने वाले की जवाबदेही की परवाह किए बिना ऐसी याचिका को तुरंत स्वीकार कर लिया है और अप्रत्यक्ष रूप से गलती के छोटे लाभार्थी को इस तथ्य की अनदेखी करते हुए दंडित किया है कि वह कई वर्षों तक रोजगार में रहा होगा और उसके द्वारा अर्जित सूक्ष्म वेतन ही एकमात्र स्रोत हो सकता है। उसकी आजीविका का. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित कर दिया जाता है, तो वह अपने सभी मौलिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जाता है और उसके लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय, स्थिति और अवसर की समानता का लक्ष्य, संविधान में निहित स्वतंत्रताएं भ्रामक बनी रहती हैं। . इसलिए, अदालतों का दृष्टिकोण संवैधानिक दर्शन के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक अभिन्न अंग हैं और नियोक्ता-जनता द्वारा सामने रखे गए विशिष्ट और अस्थिर आधारों पर विचार करके श्रमिक को मिलने वाले न्याय से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। या निजी।"

(19) इसके अलावा, हम राज्य के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क से खुद को आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं कि अपीलकर्ता/कार्यकर्ता ने यह नहीं बताया है कि वह 25 वर्षों की लंबी अंतराल अवधि के दौरान कैसे जीवित रहा। हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 17-बी के अनुपालन में अपीलकर्ता/कामगार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र उसके किसी भी रोजगार में नहीं होने का पर्याप्त और सकारात्मक प्रमाण है। यदि राज्य को श्रमिक द्वारा किए गए दावे पर हमला करना है, तो उस स्थिति में, इस तथ्य को स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य पर है कि अपीलकर्ता किसी रोजगार में रहा था या बेरोजगार नहीं रहा था।

(20) हमारी सुविचारित राय में, राज्य/प्रबंधन को नागरिकों, विशेषकर कामगारों और श्रमिकों के अधिकारों को कुचलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिनका राष्ट्र निर्माण में योगदान पर्याप्त, आवश्यक और वास्तविक है। जैसा कि हमारी संवैधानिक योजना के तहत निर्धारित किया गया है, मजदूरों, कामगारों और वंचितों का उत्थान राष्ट्र की वृद्धि और विकास का पर्याय है।

(21) मौजूदा मामले में, यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि कर्मचारी ने चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया। हमारा मानना है कि यदि राज्य के अधिकारी ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप चयन नहीं किया है, तो राज्य ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें राज्य को होने वाली क्षति भी शामिल है। ऐसी कार्रवाई का. ऐसे मामलों में, जहां अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन स्थापित हो जाता है, श्रमिक को अधिनियम के उस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है जो उसे देना चाहता है। इनकार का परिणाम न केवल कल्याणकारी कानून को नकारना होगा, बल्कि संविधान और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ असंगत होगा।

(22) संवैधानिक योजना द्वारा प्राप्त किया जाने वाला अंतिम उद्देश्य प्रस्तावना में निहित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना है। जब विवाद असमानों के बीच हो तो न्याय प्रणाली को कमजोरों, गरीबों, दलितों और

वंचितों के पक्ष में होना चाहिए। यह केवल उस वर्ग की ज़रूरतों का जवाब देने के द्वारा है-श्रमिकों, किसानों, दलितों और सभी अधीनस्थ वर्गों के पास नहीं है। राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार किया जा सकता है।

(23) परिणाम में, वर्तमान पत्र पेटेंट अपील की अनुमति है। माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है और विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल किया जाता है। अपीलार्थी/ कामगार रुपये की लागत का हकदार हैप्रतिवादी/राज्य से ₹ 35,000

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

तुषार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी , कैथल, हरियाणा